In the Court of D.A.S.J.-XVI, Muzaffarpur
Present: Ashutosh Kumar Singh
A.B.P. No.- 1819 of 2026
arising out of Cyber P.S. Case No.-57 of 2026

# *न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, 16वीं जिला–मुजफ्फरपुर*

## अग्रिम जमानत आवेदन क्रमांक–1819/2026
## मो0 साकिर हुसैन वगैरह बनाम बिहार राज्य

1. मो0 साकिर हुसैन पिता मो0 जाहिद हुसैन उम्र करीब–25 वर्ष
निवासी ग्राम–सकरा फरीदपुर, थाना–सकरा, जिला–मुजफ्फरपुर
2. मो0 दानिश पिता मो0 अकबर, उम्र करीब–21 वर्ष
निवासी ग्राम– मधुबन, थाना–चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार राज्य अभियोजन

साईबर थाना का अपराध क्रमांक–57/2026
प्राथमिकी अंतर्गत धारा–316(2), 315(1), 319(1), 318(2) बी0एन0एस0
1. आवेदकगण की ओर से –अधिवक्ता श्री दीपक कुमार
2. अभियोजन की ओर से –अपर लोक अभियोजक–श्री अरबिंद कुमार सिंह

दिनाक–
20.05.2026

**आदेश**

उपरोक्त वर्णित आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु यह आवेदन, सूचक स0अ0नि0 दयाल नारायण सिंह की लिखित आवेदन के आधार पर पंजीबद्ध साईबर थाना का अपराध क्रमांक–57/2026 से उत्पन्न अपराधिक मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री दीपक कुमार द्वारा अधिकार पत्र एवं शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन की प्रतिलिपि पूर्व में अपर लोक अभियोजक को प्रदान की जा चुकी है।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक स0अ0नि0 दयाल नारायण सिंह जो वर्तमान में साईबर थाना में पदस्थापित है ने मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत संदिग्ध मोबाईल नं0–91559219331 को सर्च किया तो लोकेशन सकरा थाना दिखा रहा था। उक्त संदिग्ध मोबाईल नम्बर को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित JMIS SAMANVAYA PORTAL पर भी सर्च किया तो संदिग्ध मोबाईल नम्बर के विरूद्ध NCRP PORTAL शिकायत सं0–30504260041623 तथा 32054260012454 जिसके शिकायतकर्ता क्रमशः बिरेश कुमार यादव, सिद्धवालिया, गोपालगंज बिहार, 9939430586 तथा दीपक गोंड हैं। शिकायतकर्ता बिरेश कुमार यादव द्वारा अपने शिकायत में बताये कि उनके मोबाइल पर एक भ्रामक संदेश भेजा गया कि गलतीवश उसके बैंक खाते से धनराशि हस्तांतरित हो गयी है तथा उस धनराशि को वापस करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता से तीस हजार रूपये का ठगी कर लिया गया। ऐसे ही दीपक गोंड से भी पच्चीस हजार रूपये का ठगी कर लिया गया। प्राप्त सूचना को सत्यापन करने हेतु सूचक

लगातार
20.05.2026

स0अ0नि0 दयाल नारायण ने पुलिस बल के साथ लैपटॉप लेकर साईबर थाना से दिनांक 15.04.2025 को समय 11:30 बजे सकरा थाना क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। इसी क्रम में ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नं0–9155219331 का एस0डी0आर0 प्राप्त करने पर धारक का नाम मो0 रहमान पाया तो अपने पुलिस बल के साथ मो0 रहमान के एक छोटा सा करकट के मकान में पहुंचा और मो0 रहमान को पकड़ लिया गया। सख्ती से पुछताछ के क्रम उसने बताया कि मेरे पड़ोसी के ही साथी मो0 शाकिर हुसैन, मो0 नं0–7277517644 एवं उसके भांजा मो0 दानिश मो0 7368054395 द्वारा साईबर फ्रॉड करके कम समय में ज्यादा रूपया कमाने का बात बताया और 2 प्रतिशत कमिशन देने की बात कहा। उसके बाद उनलोगों ने ठगी का पैसा मंगाने के लिए अपना एक्सीस बैंक का खाता जिसका खाता नं0–925010005250612 वे व्हाट्सप के माध्यम से दे दिया और उस खाते पर ठगी का पैसा मंगाने लगा। अभी तक 2600 रू0 कमीशन के रूप में दिये हैं, शेष रूपया अभी बकाया है। आगे बताया कि साईबर ठगी से प्राप्त राशि को ए0टी0एम0 से निकालकर सी0ए0पी0 तथा सीडीएम मशीन के माध्यम से मो0 शाकिर एवं मो0 दानिश को दे देते थे और 2 प्रतिशत कमिशन के रूप में उसे देते थे। इस प्रकार मो0 रहमान अपने सहयोगी मो0 शाकिर हुसैन मो0–7277517644 एवं मो0 दानिश मो0–7368054395 जानबूझकर साईबर धोखाधड़ी के काम में संलिप्त रहे एवं अवैध साईबर ठगी से आर्थिक लाभ प्राप्त करता था। पकड़ाये व्यक्ति मो0 रहमान के तलाशी करने पर उसके पास से एक हरे रंग का समसंग मोबाईल जिसमें एयरटेल का सीम मोबाइल नं0–8434461436, एक एक्सीस बैंक का इजी सेक्यूर लिखा हुआ, बीजा एटीएम कार्ड जिस पर 4691 9701 5006 4954 एवं एक एक्सीस बैंक का चेकबुक जिसपर खाता सं0–925010005250612 अंकित पाया गया। बरामद सामान को जप्ती सूची बनाकर, बरामद सामान एवं गिरफ्तार व्यक्तियों को साथ लेकर थाना आये। अतः गिरफ्तार किये गये मो0 रहमान एवं इसके साथी फरार मो0 शाकिर हुसैन, मो0 दानिश के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह निवेदन किया गया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इन्हें झुठे इस केस में फंसाया गया है। आवेदकगण की ओर से पूर्व अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। आवेदकगण पर लगाये गये आरोप झुठे एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण का नाम सह–अभियुक्त मो0 रहमान के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस केस में लाया गया है। आवेदकगण को उनके बैंक में फ्रॉड के तौर पर मिले पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सह–अभियुक्त मो0 रहमान ने इन आवेदकगण को बताया कि उनके रिश्तेदार ने राज्य के बाहर से पैसे भेजे

लगातार
20.05.2026

थे, आवेदकगण मो0 रहमान को जानते थे, इसलिए अपने एकाउंट में पैसे भेजने के लिए मान गये। मो0 रहमान को एक भी पैसे नहीं दिये। आवेदकगण न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार, भागने की कोई संभावना नहीं है। अतः उनकी ओर से आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

दूसरी तरफ अपर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किए जाने का निवेदन किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रस्तुत मामले के सूचक पुलिस पदाधिकारी है जो बिहार पुलिस मुख्यालय आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा संचालित ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त मोबाईल संख्या–9155219331 के शिकायत संबंध में जांच कर रहे थे। उक्त मोबाईल धारक द्वारा शिकायतकर्ता (शिकायत सं0–30504260041623 एवं 32504260012454) बिरेश कुमार एवं दीपक गोड़ ने साइबर ठगी कर क्रमशः 30,000 रूपया एवं 25,000 रूपया उनसे अपने खाता में ट्रान्सफर करा लिया था। केस डायरी की कंडिका 2 में सूचक का पुनः बयान एवं कंडिका 5 एवं 6 में पुलिस साक्षी का बयान दर्ज किया गया है जिन्होने प्राथमिकी के अनुसार अपना बयान दिया है। सूचक ने ठगी करने वाले मोबाईल सं0–9155219331 के टावर लोकेशन एवं एस0डी0आर0 को ट्रेस करते हुए अभियुक्त मो0 रहमान के पास पहुंचे तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा और पूछताछ में उसने बताया कि दो प्रतिशत कमीशन पर वह अभियुक्त साकिब हुसैन एवं मो0 दानिश के साथ साइबर धोखा–धड़ी के कार्य में शामिल हो गया। वर्तमान समय में अनुसंधान अभी लंबित है और कई साक्ष्यों को एकत्र किया जाना शेष है। अतः न्यायालय द्वारा लगाये गये आरोप के गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान के इस लंबित अवस्था में अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने योग्य नहीं समझती है, तदनुसार अभियुक्त **मो0 साकिर हुसैन एवं मो0 दानिश** का अग्रिम जमानत **अस्वीकृत** किया जाता है।

कार्यालय आदेश की एक प्रति सम्बंधित न्यायाालय को प्रेषित करें।

**लेखापित**

**Sd/-**

**अपर सत्र न्यायाधीश–16वीं**
**मुजफ्फरपुर**

| | |
|---|---|
| **Date of judgment/order** | 20-05-2026 |
| Date of Reserving judgment/order | - |
| Uploading Date | 20-05-2026 |
| Uploaded by | Stenographer |

In the Court of D.A.S.J.-XVI, Muzaffarpur
Present: Ashutosh Kumar Singh
A.B.P. No.- 1819 of 2026
arising out of Cyber P.S. Case No.-57 of 2026